



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक: एफ.9(3)आउ/उ/मार्के./2005

दिनांक : 07/07/2014

आदेश

वित्त, सा.वि.ले. नियम, पार्ट-II के नियम-225 (एच) एवं वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक- JSFGT, Finance 261400025 दिनांक 18.02.2014 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.01.2013 का अतिक्रमण करते हुए कुर्सियों की रिकेनिंग का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित नेत्रहीन संस्थाओं के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित विकलांगों, विधवाओं, अनाथों एवं भिखारियों की संस्थाओं से कुर्सियों की रिकेनिंग की दरों का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	कुर्सियों की सीट रिकेनिंग	-	रु.67.00	129.00 रुपये एक कुर्सी (वर्जिन दाने से निर्मित केनिंग सामग्री सहित)
2.	कुर्सियों की बैक रिकेनिंग	-	रु.62.00	

जिलों में नेत्रहीन संस्थाओं/विकलांग समिति नहीं होने की स्थिति में रिकेनिंग कार्य नेत्रहीन/विकलांग व्यक्तियों से चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर करवाया जा सकता है, जिसका भुगतान 500/- रुपये से अधिक होने पर बैंक के माध्यम से किया जावेगी।

उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जावेगी।

(विनोद अजमेरा)

आयुक्त, उद्योग

दिनांक : 07/07/2014

क्रमांक: एफ.9(3)आउ/उ/मार्के./95

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
10. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त प्रत्यक्ष मांगकर्त्ता अधिकारी (डीडीओ)
13. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

आयुक्त, उद्योग